सुक्खू बोले, जनता के आशीर्वाद से आगे भी लंबी पारी खेलेंगे

- पांच गुटों में बंट चुकी प्रदेश भाजपा आपस में ही लड़ रही
- भाजपा 2027 में सरकार बनाने का सपना देखना भूल जाए

जागरण संवाददाता, काजा : मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विरोधी भले ही उनके कार्यकाल को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन उन्हें लंबी पारी खेलने की आदत है। वह जिस भी कुर्सी पर रहे हैं, लंबे समय तक टिके हैं। जनता के आशीर्वाद से आगे भी लंबी पारी खेलेंगे। प्रदेश भाजपा पांच गुटों में बंट चुकी है और आपस में ही लड़ रही है। ऐसे में भाजपा 2027 में सरकार बनाने का सपना देखना भूल जाए।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को काजा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले एमएलए खरीदकर सरकारें गिराने और बनाने का घिनौना काम करती थी, अब वोट चोरी करने में लगी है। देश के कई राज्यों में उन्होंने इसी फार्मूले से सरकारें बनाईं। हिमाचल में भी इन्होंने यही कोशिश की। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार न केवल सत्ता में टिकी हुई है, बल्कि मजबूती से काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है और आगे भी जनता के हित में काम जारी रहेगा। ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। कांग्रेस के हाथ में हिमाचल का भविष्य उज्ज्वल है।

लाहुल स्पीति के काजा पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू स्थानीय लोगों के साथ ● सौ. एपीआरओ

रांगरिक में सोनम के होम स्टे में रुके सीएम, बच्चों से किया संवाद

जागरण संवाद केंद्र, काजा : मुख्यमंत्री ने काजा प्रवास के दौरान रांगरिक गांव में रात्रि ठहराव किया। काजा से तीन किलोमीटर दूर स्थित रांगरिक में वह सोनम के होम स्टे में रुके। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने रात नौ बजे तक महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी मांगें और समस्याएं सुनीं। रात्रि विश्राम के दौरान उन्होंने भोजन और ठहराव के बीच ग्रामीणों से चर्चा जारी रखी। मुख्यमंत्री के लिए विशेष पारंपरिक खाना तैयार किया गया। ग्रामीण परिवेश के बीच उन्होंने स्पीति के मीठे सेब का स्वाद चखा और हाथ से बने नूडल्स व सब्जियों से तैयार गर्म सूप थुपका आदि का आनंद लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काजा में विद्यार्थियों से संवाद किया। बच्चों ने छात्रावास, करियर गाइडेंस और शिक्षा से जुड़ी अन्य जरूरतों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र काजा में बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो बस उन्हें बेहतर सुविधाएं और आगे बढ़ने के उचित अवसर देने की। बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है और प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

स्वास्थ्य मंत्री जी! भ्रूण की धड़कन सुनने वाला डाप्लर अनिवार्य है

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक
navneet@drm.jagran.com

खबर के पार

ऊना में प्रदर्शन के दौरान लोग और पुलिस कर्मी ● जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश के कुछ बड़े सरकारी मेडिकल कालेज एक वर्ष से रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधा उपलब्ध होने के कारण चर्चा में हैं। समय और संसाधन बचाते हुए आधुनिक तकनीक का जीवन के पक्ष में खड़े होना अच्छा है। इन अच्छे संकेतों के बावजूद बुरा है कभी कुल्लू और कभी ऊना अस्पताल में गर्भवतियों का नवजात समेत हमेशा के लिए सो जाना। डाक्टर और मरीज के बीच अप्रिय स्थितियां कमला नेहरू अस्पताल, आइजीएमसी शिमला से आरंभ होकर कुल्लू और फिर ऊना अस्पताल तक पहुंच गईं। ताजा घटनाक्रम ऊना अस्पताल का रहा, जहां जच्चा-बच्चा की मौत हुई थी। स्त्री रोग चिकित्सक को निलंबित किया जा चुका है। ऐसे मामलों में, पहले पीड़ित परिवार न्याय मांगते हैं, बाद में चिकित्सक अपनी व्यथा कहते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ हाथापाई करने वाले तत्वों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज होने की बात आ रही है। और न्याय इन दोनों पक्षों से दूर व्यवस्था से जुड़े उन सुराखों में छुपा है, जिन्हें कब का भर दिया जाना चाहिए था लेकिन भरे जाने से विपरीत, वे अस्पताल की व्यवस्था में और गहराते जाते हैं।

वास्तविकता यह है कि अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी भले ही पहुंच गई हो, छोटे छोटे उपकरण और आधारभूत संवाद का सलीका नहीं पहुंचा। चिकित्सक की मेज के उस पार से लेकर इस ओर तक इतना अंतर है कि अब भाषा का स्थान विवाद, नारों और अंततः हिंसा ने ले लिया है। ऊना वाले मामले में चिकित्सक महोदया ने कहा कि बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। करोड़ों के रोबोट का स्वागत है लेकिन 10 से 20 हजार का फीटल डाप्लर भी हो तो बच्चे की धड़कन सुनी और सबको सुनाई जा सकती है। स्वजन का आरोप है कि इसी क्रम में विलंब हुआ और बच्चे के साथ जच्चा की भी मृत्यु हो गई। सवाल यह है कि क्या 10,000 रुपये का डाप्लर उस ऊना को भी प्राप्त नहीं हो सका, जहां से उपमुख्यमंत्री आते हैं? ध्यान यह भी देना होगा कि जननी सुरक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

जिस 108 एंबुलेंस के टायर घिस जाते हैं, जिस 108 का डीजल मुद्दा बन जाता है, उसी के प्रशिक्षित कर्मचारी उस महिला का भी सुरक्षित प्रसव करवा देते हैं, जिसे कोई सरकारी अस्पताल यह कह कर रेफर करता है कि यह संवेदनशील मामला है, आप किसी बड़े अस्पताल जाइए। प्रसव से जुड़े मामलों में ही देखें तो 108 एंबुलेंस पर निर्भरता और उसके उपयोग में हिमाचल प्रदेश तीन प्रतिशत के साथ सबसे आगे खड़ा है। सवाल यह है कि फिर जिलास्तरीय अस्पताल में क्यों ऐसी नौबत आती है कि सीएमओ के साथ दुर्व्यवहार होता है और संबंधित चिकित्सक आक्रोशित भीड़ की मंशा को भांपते हुए खिड़की फांद कर अस्पताल से निकल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतीकात्मकता ने व्यावहारिकता का स्थान ले लिया है। छोटे छोटे अभाव और अपेक्षाएं बड़े हादसों तक पहुंचा देती हैं।

हिमाचल प्रदेश में 2017 से मेडिपर्संस एक्ट लागू है। यानी हिमाचल प्रदेश देश के उन 23 से अधिक राज्यों में शामिल है जहां डाक्टर के साथ दुर्व्यवहार संज्ञेय अपराध है। आंकड़ा कितना है... शायद एक या दो। हिमाचल प्रदेश में अनुमानित कुल संस्थागत गर्भवतियों का 26.3 प्रतिशत हिस्सा 108 या 102 एंबुलेंस सेवा से माध्यम से अस्पताल पहुंचा। यह संख्या सभी राज्यों में सबसे अधिक थी। कुल संस्थागत प्रसवों में से 3.0 प्रतिशत प्रसव ऐसे थे, जिन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने के लिए इसी का उपयोग किया गया। यह आंकड़ा गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भी अधिक है। हिमाचल प्रदेश में एंबुलेंस के रास्ते में रहते हुए प्रसव होने की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पाई गई है। करीब बिना रेफर किए गए 3.5 प्रतिशत और रेफर किए गए मामलों में 1.7 प्रतिशत महिलाओं का सुरक्षित प्रसव एंबुलेंस के भीतर हुआ। फिर अस्पतालों में ऐसा क्या हो जाता है, प्रश्न यह है।

एम्स बिलासपुर के दीक्षा समारोह में आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कह गई हैं कि डाक्टरों को दुर्गम स्थानों में भी सेवा करनी चाहिए। महामहिम! अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुगम क्षेत्र में भी सेवा देना दुरूह होता जा रहा है। कारण यह है कि छोटी-छोटी व्यवस्थागत कमियां हैं। कहीं सीवन सिलने के लिए सुई का विकल्प तलवार है और जहां तलवार चाहिए वहां केवल सुई है। इस सबमें वह संवाद गुम है जो एक मरीज और रोगी या उसके स्वजन के बीच होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां अब कई मेडिकल कालेज अस्पताल और एक एम्स होने के बावजूद विश्वास का सूचकांक कम हो रहा है तो ये छोटे-छोटे कारण हैं। सच यह है कि प्रशासनिक क्षीणता के कारण ये घटनाएं होती हैं। यदि टांडा अस्पताल में पर्ची बनाने वाले का पिटना गलत है, ऊना में सीएमओ पर हमला भी उतना ही गलत है। स्वास्थ्य मंत्री जी, अस्पतालों में फीटल डाप्लर अनिवार्य कर दीजिए।

अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा का कर रहे आधुनिकीकरण : मुख्यमंत्री

- चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां व भर्ती प्रक्रिया जारी
- ओटीए के 84 और स्वास्थ्य विभाग में 39 पदों पर नियुक्ति पत्र किए जारी

जागरण संवाद केंद्र, शिमला : मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थानों में डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। मेडिकल कालेजों में सेवाएं मजबूत करने के उद्देश्य से मार्च 2025 में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल तथा मिनिस्ट्रियल स्टाफ कैडर अलग करने की पहल की गई।

उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि सरकार ने 31 दिसंबर, 2026 तक सभी सरकारी मेडिकल कालेजों में 90 प्रतिशत चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य सहायक स्टाफ की तैनाती का लक्ष्य रखा है। आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत अटल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाणा सहित मेडिकल कालेजों में सहायक स्टाफ नर्सों के 650 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में भी इस पद के 117 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी है। सहायक स्टाफ नर्सों के 1300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। हाल की मंत्रिमंडल बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। राज्य चयन आयोग के माध्यम से चयनित ओटीए अभ्यर्थियों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के 84 और स्वास्थ्य विभाग के 39 पदों के लिए बुधवार को नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर के 21 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। फार्मासिस्ट के 17 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, जबकि 74 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मेडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन के 66, लैबोरेटरी सहायक के आठ, रेडियोग्राफर के 20, नेत्र रोग विशेषज्ञ के दो, फिजियोथैरेपिस्ट के सात और आपरेशन थियेटर असिस्टेंट के 13 पदों पर भी भर्ती जारी है। हाल की मंत्रिमंडल बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग में रेडियोलाजिस्ट के 30, क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट के 13 और परफ्यूजनिस्ट के छह पद भरने को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य शिक्षकों को 2012 से 4200 रुपये से ऊपर का ग्रेड पे दे सरकार

वेतन निर्धारण का लाभ 2012 से काल्पनिक देय होगा, वास्तविक 2013 से दिए जाएंगे

विधि संवाददाता, जागरण ● शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एजुकेटर की निचली श्रेणी (फीडर कैटागिरी) के कर्मचारियों से कम वेतन देने की विसंगति दूर करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट निर्णय 1

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह मामले पर पुनर्विचार करे। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षकों को एक अक्टूबर 2012 से 4200 रुपये के ग्रेड पे से ऊपर का उचित आनुपातिक उच्च ग्रेड पे प्रदान करे। वेतन निर्धारण का लाभ 2012 से काल्पनिक रूप से देय होगा, जबकि वास्तविक मौद्रिक लाभ याचिका दायर करने की तिथि से तीन साल पहले यानी 2013 से दिए जाएंगे। जब तक सरकार संशोधित अधिसूचना जारी नहीं करती तब तक स्वास्थ्य शिक्षक अंतरिम व्यवस्था के रूप में 10300-34800 4200 जीपी का लाभ लेते रहेंगे ताकि उनके वेतन में कोई कटौती न हो।

खंडपीठ ने 30 जनवरी 2016 की उस अधिसूचना को रद कर दिया जिसके तहत स्वास्थ्य शिक्षकों को एक फरवरी 2016 से 4200 रुपये का ग्रेड पे दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पदोन्नत पद पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधीनस्थ (फीडर) कर्मचारियों के बराबर या उससे कम ग्रेड पे देना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने निचली श्रेणी के कर्मचारियों से कम वेतन देने की विसंगति दूर करने के दिए निर्देश

खंडपीठ ने माना कि निचली श्रेणी के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (महिला/पुरुष हेल्थ सुपरवाइजर) को एक अक्टूबर 2012 से 4200 रुपये का ग्रेड पे मिल रहा था। जबकि उनसे ऊंचे पद पर बैठे स्वास्थ्य शिक्षकों को भी यही ग्रेड पे देना और वह भी बाद की तारीख से तार्किक नहीं है। अदालत ने राज्य प्राधिकारियों को इस फैसले का पालन करते हुए चार सप्ताह के भीतर सभी लाभ और संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह फैसला शशि पाल ठाकुर सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया।

हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद बोली सरकार, अंतिम चरण में मेरिट सूची

कोर्ट निर्णय 2

शिमला : हाई कोर्ट ने राज्य में दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित टीजीटी पदों का परिणाम घोषित न करने पर कड़ा संज्ञान लिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि आगामी सुनवाई पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में ताजा प्रगति और अंतिम निर्णय की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। हाई कोर्ट द्वारा छह अक्टूबर को जारी निर्देशों के अनुपालन में शिक्षा निदेशक (स्कूल शिक्षा) की ओर से 12 अक्टूबर को प्राप्त लिखित निर्देश अदालत के समक्ष पेश किए। सरकार की ओर से सूचित किया कि काउंसिलिंग और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जा रही है और यह अंतिम रूप दिए जाने के कगार पर है। कोर्ट ने विभाग के आश्वासन को रिकार्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 16 नवंबर को तय की है। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि विभाग ने दो जनवरी 2026 को दिव्यांग श्रेणी के लिए टीजीटी के विभिन्न पदों पर भर्ती विज्ञापन निकाला था।

विभाग की गलती पर बिना काम किए भी पूरा वेतन पाने का हक : हाई कोर्ट

कोर्ट निर्णय 3

शिमला : हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर विभाग की गलती या लंबी कानूनी लड़ाई की वजह से किसी सफल कर्मचारी को नौकरी पर वापस लेने में देरी की जाती है तो उस इंतजार की अवधि का पूरा वेतन पाने का उसे कानूनी हक है। भले ही इस दौरान कर्मचारी ने कोई काम न किया हो। विभाग अपनी विफलता और देरी का फायदा उठाकर कर्मचारी के वेतन का हक नहीं दबा सकता। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने जलशक्ति विभाग डलहौजी की ओर से दायर चार अपीलों को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक उच्च अदालतों से लेबर कोर्ट के आदेश पर कोई स्टे नहीं था, तब तक विभाग को कर्मचारी को काम पर रख लेना चाहिए था। यह मामला दैनिक वेतनभोगी बेलदार अमर सिंह और उनके साथियों से जुड़ा है, जिन्हें साल 2000 में नौकरी से निकाल दिया था। मई 2013 में लेबर कोर्ट ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार इस आदेश को मानने के बजाय पहले एकलपीठ, फिर खंडपीठ और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देती रही।

झूठे आरोपों की राजनीति छोड़ें राहुल गांधी : श्रीकांत

भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने कहा आरोप लगाने के बजाय जनता के बीच अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करे कांग्रेस

जागरण संवाद केंद्र, शिमला : भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है, लेकिन राहुल गांधी अपनी राजनीतिक कार्यशैली में सुधार करने के बजाय बार-बार चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी को झूठे आरोपों की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस को आरोप लगाने के बजाय जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और संगठनात्मक कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने यहां जारी बयान में गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता का विश्वास हासिल करने के लिए आत्ममंथन करना चाहिए। झूठे आरोप लगाकर जनता को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन जनता का विश्वास और चुनावी विजय हासिल नहीं की जा सकती।

श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार-बार गंभीर राजनीतिक आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनसे प्रमाण मांगे जाते हैं तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। चुनावी प्रक्रिया पर आपत्ति उठाने के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यदि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के पास मतदाता सूची में अनियमितताओं के प्रमाण हैं, तो उन्हें संबंधित चुनाव अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

IN THE COURT OF SENIOR CIVIL JUDGE COURT NO 1, DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA (H.P.)
PUBLICATION
In Ref:- Suit for Declaration
CIS No.:- 71/2018
Shyam Saroop vs Satya Devi
Next Date of Hearing:- 16-11-2026
1. Shyam Saroop s/o Ram Kishan S/o Kali Dass R/o Kalapul, Dharamshala, District Kangra H.P and others
...**Plaintiffs**
Versus
1. Satya Devi d/o Prem Dass at present w/o Charan Dass R/o Patohla, Ghaniyara, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra H.P and others
...**Defendants**
Notice to Defendant 10,11,12
10. Amit Nagpal s/o Om Parkash
11. Asha Nagpal w/o Om Parkash
12. Naresh Kumar s/o Tara Chand
All R/o Village Andrar, Mohal Tang, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra H.P
Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that the above named **Defendants 10,11,12** is avoiding service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence, this proclamation is hereby issued against them to appear in this court on 16**-11-2026 at 10:00 A.M.** to contest/defend the case personally or through an authorized agent or pleader failing which ex-parte proceedings will taken against them.
Hence, notice is hereby issued to Defendants 10,11,12 for filing objections, if any to the above claim of the plaintiff by appearing personally or through an authorized agent or pleader failing which ex-parte proceedings shall be taken in the matter.
Given under my hand and seal of the court on 05nd day of October, 2026.
Senior Civil Judge-cum-ACJM
Dharamshala
District Kangra, HP.

हिमाचल के अस्पतालों को मिले 33 विशेषज्ञ, पांच दिन में तैनाती के निर्देश

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश सरकार ने 33 चिकित्सा अधिकारियों (विशेषज्ञों) की विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में तैनाती के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद चिकित्सकों को नियुक्त किया है। सभी चिकित्सकों को पांच दिन के भीतर कार्यभार संभालकर विभाग को ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

विस्तृत समाचार पढ़ने के लिए यहां स्कैन करें।

25 से शुरू होंगी कांग्रेस की वोट बचाओ देश बचाओ चौपाल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला : हिमाचल में कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा के विरुद्ध अभियान तेज करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सभी जिलों, ब्लाकों और बूथ स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' आयोजित की जाएंगी। मतदाता सूचियों की जांच के साथ लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया, अभियान के तीसरे चरण में 25 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। इनमें वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके बाद जिला और ब्लाक अध्यक्षों की बैठकें होंगी। अगले दिन ब्लाक स्तर पर बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के साथ बैठकें की जाएंगी। पहली नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से इंडी गठबंधन की राष्ट्रीय रैली आयोजित की जाएगी।

लाइव स्ट्रीमिंग के भ्रामक प्रचार और कामर्शियल इस्तेमाल पर रोक

विधि संवाददाता, जागरण ● शिमला : सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही और लाइव स्ट्रीमिंग के भ्रामक प्रचार और कामर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ (जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं) ने इस मामले की सुनवाई की।

कोर्ट निर्णय 4

कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल या संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की अनुमति के बिना कोर्ट की आडियो-वीडियो रिकार्डिंग को इंटरनेट मीडिया मीडिया या किसी डिजिटल प्लेटफार्म पर पोस्ट, री-पोस्ट, अपलोड, शेयर, स्टोर या इससे कमाई नहीं की जा सकती। यह रोक पहले की तरह जारी रहेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर व्यापक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। जो भी हाई कोर्ट, पक्षकार या आम लोग इस विषय पर अपने सुझाव देना चाहते हैं, वे सालिसिटर जनरल के दफ्तर में भेज सकते हैं ताकि सरकार मजबूत नीति बना सके।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
धर्मशाला शाखाः- 593, डेन रोड, डिपो बाजार,
धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश - 176215,
फोनः 01892-225950
ई-मेलः DHAKAN@bankofbaroda.bank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

यहां स्कैन करें
विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए

अनुलग्नक-ई
अचल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
[परिशिष्ट-II ए नियम 6(2) के साथ अचल संपत्ति के लिए]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, जो प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के परंतुक के साथ पठित है।
एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार को बंधक/गिरवी/प्रभारित की गई हैं, जिनका कब्जा **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। **पहचान किए गए किसी भी बकाया की देयता क्रेता पर होगी, बैंक पर नहीं।** उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर/सुरक्षित संपत्ति/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः-

उधारकर्ता/गारंटर एवं गिरवीदार का नाम व पता	अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई ज्ञात भार हो	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (प्रत्याशित / भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय
(1) **मेसर्स जारासो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः-** गुरुद्वारा रोड, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. - 176215 **(2) श्री अमित कुमार (निदेशक एवं गारंटर), पताः-** गुरुद्वारा रोड, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. **(3) श्री सुमित कुमार (निदेशक एवं गारंटर), पताः-** गुरुद्वारा रोड, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. **(4) श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री प्रेम चंद (गारंटर), पताः-** गीता भवन मंदिर के पास, 565, ओल्ड चारी रोड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।	संपत्ति का वह पूरा भाग और अंश जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, जो खाता संख्या 493, खतौनी संख्या 1337, खसरा संख्या 951, 952 कित्ता 2 के तहत 71-12 वर्ग मीटर के 1/3 हिस्से तक, यानी 23.71 वर्ग मीटर में स्थित है, जो उप मोहल धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. में स्थित है। **उत्तर में:** श्री अशोक शर्मा और भाइयों का घर; **दक्षिण में:** पुरानी चारी रोड; **पूर्व में:** श्री राम चंद, कल्याण चंद आदि की दुकान; **पश्चिम में:** नगरपालिका सड़क और श्री राजू रस्तोगी की संपत्ति।	रु. 29,33,345.54 (मूलधन) + रु. 12,45,932.74 (अप्रयुक्त ब्याज) + रु. 9,050.30 (ब्याज वापसी) + रु. 14,02,010/- (दंडात्मक ब्याज)। कुल बकाया - **रु. 55,90,338.58 (पचपन लाख नब्बे हजार तीन सौ अड़तीस रुपये और अट्ठावन पैसे मात्र)** 31.07.2026 तक + वसूली तक आगे का ब्याज और शुल्क।	07.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	रु. 20,50,000/- रु. 2,05,000/- रु. 10,000/-	बैंक का भौतिक कब्जा	15.10.2026 to 05.11.2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (केवल पूर्व नियुक्ति के साथ)

संपर्क नंबर का नामः एमः 62832-85071
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 07.11.2026 शाम 06:00 बजे तक।
ई-नीलामी शुरू होने की तिथि और समयः 07.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक। ईएमडी भुगतान का तरीका : एनईएफटी
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://Baanknet.com पर देखें/विजिट करें।
इसे सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना माना जाए।
तिथिः 14.10.2026 **स्थानः** धर्मशाला (हि.प्र.) **प्राधिकृत अधिकारी**

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
नादौन शाखाः- साई सदर,
नियर बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
हिमाचल प्रदेश

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, **केनरा बैंक, नादौन शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 54 सन् 2002) (जिसे इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के तहत और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता(ओं) को नीचे उल्लिखित तिथियों पर मांग सूचना(एं) जारी की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से संबंधित मांग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि(यों) को सूचना के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।
उधारकर्ता(ओं) द्वारा राशि(यों) का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत, नियम 8 और 9 के साथ पठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है, जिसकी तिथियां नीचे उल्लिखित हैं।
उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन **केनरा बैंक, नादौन शाखा** की नीचे उल्लिखित राशि के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रतिभूत आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और बंधककर्ता(ओं) का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	देय राशि प्रतीकात्मक	कब्जे की तिथि
उधारकर्ता(ओं):- अजय सिंह पुत्र धरम सिंह, धनोट अध्वानी ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) - 176036। **सह-उधारकर्ता(ओं):- सुषमा कुमारी** पत्नी अजय सिंह, ग्राम धनोट, डाकघर अध्वानी ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) 176036।	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका खाता संख्या 8, खतौनी संख्या 17, खसरा संख्या 2035/2, प्लॉट 1 है, जिसका क्षेत्रफल 00-25-61 हेक्टेयर है, जो महल धनोट, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) में स्थित है, जैसा कि वर्ष 2016-17 की जमाबंदी के अनुसार है।	20.07.2026	रु. 11,53,272.86 और उस पर ब्याज सहित।	13.10.2026

तिथिः 14.10.2026 **स्थानः** नादौन (हि.प्र.) **प्राधिकृत अधिकारी**

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
काकड़ शाखाः-
ग्राम व डाकघर काकड़, जिला हमीरपुर
(हिमाचल प्रदेश) - 177028

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, **केनरा बैंक, काकड़ शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को नीचे उल्लिखित तिथियों पर मांग सूचना/सूचनाएं जारी की थीं, जिसमें उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से संबंधित मांग सूचना/सूचनाओं में उल्लिखित राशि/राशियों को सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था।
उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा राशि/राशियों का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत, उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का **प्रतीकात्मक कब्जा** नीचे उल्लिखित तिथियों पर ले लिया है।
उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **केनरा बैंक, काकड़ शाखा** की नीचे उल्लिखित राशि के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रतिभूत आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	देय राशि प्रतीकात्मक	कब्जा की तिथि
उधारकर्ता(ओं):- अजय कुमार पुत्र किक्कर सिंह, ग्राम पोस्ट उतपुट हमीरपुर (हि.प्र.) - 177022. **गारंटर(ओं):- प्रीति सिंह चंदेल पुत्री गंगा राम,** वीपीओ काकड़, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) - 177028.	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका खाता संख्या-3, खतौनी संख्या-3, खसरा संख्या-24, 24/1, 25, 45, 46, 51, 52, 59, 63, 67, 74, 79, 83, 88, 89, 94, 95, 96, 101, 102, 106, 111, 122, 127, 131, 132, 142, 146, 153, 164, 166, 169/1, 172, 401, 405, 413, 467, 467/1, 468, 469, 477, 478, 480, 481, 483, 485, 487, 490, 493, 494, 498, 500, 502, 510, 514, 515, 521, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 555, 565, 569, 570, 581,583, 586, 588, 599, 600, 605, 609, 616, 1583, 1586, 1603, 1608, 1616, 1617, 1626, 1627, 1642, 1646, 1649, 1656, 1657, 1669, 1673, 1680/1472, 1681/492, 1683/619, 1685/1682, किता-96, जिसका क्षेत्रफल 283 कनाल 0 मरला है, जिसमें 315/356580 शेयर क्षेत्र 0-5 मरला तक है, जो टिक्का काकड़, मौजा बीर बगेहरा, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) में वर्ष 2019-20 की जमाबंदी के अनुसार स्थित है।	16.07.2026	रु. 33,30,450.24 और उस पर ब्याज।	12.10.2026

तिथिः 14.10.2026 **स्थानः** काकड़ (हि.प्र.) **प्राधिकृत अधिकारी**